ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या– 880 / भा.विवि / कुसका / 2025 दिनांक : 19 जून, 2025

37वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19 जून, 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में आहूत कार्यपरिषद् की 37वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 अजय तनेजा, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री फौजान अलवी, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
3.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
4.	प्रो0 सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
5.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य	सदस्य
7.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
8.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
9.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
10.	डॉ0 बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
11.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
12.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्री
13.	डॉ0 महेश कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तद्परान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गयाः–

बिन्दु संख्या–37.1 :

कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

2/–

Add. : - Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow-226013 U.P. (India)
website : https://kmclu.ac.in/, e-mail : reg@kmclu.ac.in

बिन्दु संख्या–37.2 :

कार्य परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–37.3 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–37.4 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–37.5 :

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2025 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–37.6 :

विद्या परिषद् की 22वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 22वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2025 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–37.7 :

वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 28 मई 2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

3/–

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 28 मई 2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा बिन्दु संख्या–7 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के अधीन चलने वाले पाठ्यक्रमों के सहायक आचार्य (अस्थायी) के वेतन विसंगति को सही कर एकरूपता मानदेय निर्धारित किये जाने हेतु समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–37.8 :

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान किये गये नैक B++ ग्रेड मूल्यांकन से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को प्रदान किये गये B++ ग्रेड से कार्य परिषद् संसूचित हुयी तथा हर्ष व्यक्त किया गया। कार्य परिषद् द्वारा भविष्य में उच्च ग्रेड प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने, पी.एच0डी0, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, शोध प्रकाशन, नवाचार, कंसलटेंसी पर अधिक कार्य किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–37.9 :

कार्य परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2024 के अन्य बिन्दु संख्या 36(1) में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के क्रम में वर्ष 2020 में नियुक्त नियमित शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रारम्भ की गयी कार्यवाही से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2024 के अन्य बिन्दु संख्या 36(1) में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के क्रम में वर्ष 2020 में नियुक्त नियमित शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रारम्भ की गयी कार्यवाही से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–37.10 :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18 जून, 2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18 जून, 2025 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

4/–

बिन्दु संख्या—37.11 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पूर्व सहायक आचार्य, डॉ0 मानवेन्द्र सिंह को सेवा से हटाने (removal from service) के निर्णय के विरूद्ध डॉ0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—68 में दिये गये प्रत्योवदन के क्रम में माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या ई—6174/जी0एस0 दिनांक 14 अगस्त 2024 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के लिफाफे को खोलते हुए अग्रतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पूर्व सहायक आचार्य, डॉ0 मानवेन्द्र सिंह को सेवा से हटाने (removal from service) के निर्णय के विरूद्ध डॉ0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—68 में दिये गये प्रत्योवदन के क्रम में माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या ई—6174/जी0एस0 दिनांक 14 अगस्त 2024 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के बंद लिफाफे को कार्य परिषद् के समक्ष खोला गया। तद्ोपरान्त उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा दी गयी जांच आख्या के मुख्य अंश को कुलसचिव द्वारा पढ़कर कार्य परिषद् को सुनाया गया, जिसमें उल्लिखित है कि डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य पद हेतु आवश्यक योग्यता धारित करते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्ति के समय किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या को कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया तथा डॉ0 मानवेन्द्र सिंह को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य (संविदा) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कराने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—37.12 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग की पूर्व सह आचार्य, डॉ0 ममता शुक्ला को सेवा से हटाने (removal from service) के निर्णय के विरूद्ध डॉ0 ममता शुक्ला द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—68 में दिये गये प्रत्योवदन के क्रम में माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या 9280/जी0एस0 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के लिफाफे को खोलते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग की पूर्व सह आचार्य, डॉ0 ममता शुक्ला को सेवा से हटाने (removal from service) के निर्णय के विरूद्ध डॉ0 ममता शुक्ला द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा—68 में दिये गये प्रत्योवदन के क्रम में माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या 9280/जी0एस0 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के क्रम में

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–37(1) :

संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / विषय प्रभारी से प्राप्त संस्तुति आख्या के आधार पर सहायक आचार्य (अस्थायी) / अतिथि व्याख्याता से सत्र 2025–26 में पठन–पाठन कार्य कराये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / विषय प्रभारी से प्राप्त संस्तुति के आधार पर पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) / अतिथि व्याख्याता से सत्र 2025–26 में पठन–पाठन कार्य कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / विषय प्रभारी द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) के विरूद्ध कोई विपरीत टिप्पणी / असंस्तुति की जाती है, तो इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया अन्तिम निर्णय ही मान्य होगा, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–37(2) :

उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय में सृजित नियमित विभागों हेतु शासन से शिक्षणेत्तर पदों की मांग किये जाने पर विचार।

निर्णय :

उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय में सृजित नियमित विभागों हेतु शासन से शिक्षणेत्तर पदों की मांग किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, निदेशक–आई.क्यू.एसी. संकायाध्यक्ष–वाणिज्य की समिति गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे समस्त नियमित विभागों तथा आवश्यक कार्यालयों का विधिवत अध्ययन किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय के विभागों / कार्यालयों हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जायेगा। तद्ोपरान्त शिक्षणेत्तर पदों के सृजन हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन से मांग की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

19/6/25	19/6/25
(डॉ0 महेश कुमार)	(प्रो0 अजय तनेजा)
कुलसचिव / सचिव	कुलपति / अध्यक्ष

विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के बन्द लिफाफे को कार्य परिषद् के समक्ष खोला गया। तद्‌परान्त उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा दी गयी जांच आख्या के मुख्य अंश को कुलसचिव द्वारा पढ़कर कार्य परिषद् को सुनाया गया, जिसमें उल्लिखित है कि डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य पद हेतु आवश्यक योग्यता धारित करती हैं तथा उनके द्वारा नियुक्ति के समय किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या को कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया तथा डॉ0 ममता शुक्ला को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सह आचार्य (संविदा) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कराने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–37.13 :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की अन्तिम आख्या के लिफाफे को खोलते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की अन्तिम आख्या के बन्द लिफाफे को कार्य परिषद् के समक्ष खोला गया तथा जांच अधिकारी की आख्या को कुलसचिव द्वारा पढ़कर कार्य परिषद् को सुनाया गया, जिसमें उल्लिखित है कि श्री शबीह हैदर की नियुक्ति वर्ष 2013 में सहायक लेखाकार के पद पर हुयी थी, वर्तमान में श्री शबीह हैदर सम्बन्धित पद हेतु आवश्यक योग्यता धारित करते हैं, इनके द्वारा नियुक्ति के समय किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा इनकी नियुक्ति को 11 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। नैसर्गिक न्यायहित में जांच अधिकारी द्वारा श्री शबीह हैदर के विरूद्ध प्रचलित जांच को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। तत्क्रम में कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर की अर्हता के सम्बन्ध में प्रचलित जांच की कार्यवाही को समाप्त करते हुए इन्हें दोषमुक्त किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि एक ही प्रकरण में पूर्व में किसी बिन्दु पर जांच सम्पादित की जा चुकी है, तो उसी प्रकरण में इस बिन्दु की पुनः शिकायत प्राप्त होने पर उसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

बिन्दु संख्या–37.13 :

डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के लिफाफे को खोलते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु गठित Fact Finding Committee द्वारा प्रस्तुत आख्या के बन्द लिफाफे को कार्य परिषद् के समक्ष खोला गया, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर को उनका पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि Fact Finding Committee द्वारा डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य का पक्ष सुनकर अपनी आख्या अगली कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

6/–